


133



Handwritten signature or initials.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

निगरानी क्रमांक - दिनांक 13825-11-15 सन्-2015

रामदेवी वेवा कालका तिवारी
निवासी चंदला तहसील चंदला जिला उत्तरपुर म०प्र० -- आवेदिका

बनाम

- 1- अर्चना उर्फ अंजू पुत्री जतन सिसौदिया
निवासी कंचनपुर तहसील चंदला जिला उत्तरपुर म०प्र०
- 2- रामेश्वर तया प्रेमलाल कुशावाहा
निवासी चंदला तहसील चंदला जिला उत्तरपुर म०प्र० -- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुत्तिभागीय
अधिकारी महोदय लवकुशनगर के प्र० क्र० 46/
अपील/ 2912-13 में पारित आदेश दिनांक
31-08-2015

Handwritten notes: 28/10/15

न्यायालय कलेक्टर
जिला उत्तरपुर म०प्र०
प्रकार का नाम सिद्धांत मारा,
28-10-15
आ का नाम राजस्व मंडल ग्वा.
दिनांक 28-10-15
अधीक्षक

Handwritten signature or mark.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-3825-दो/2015

जिला-छतरपुर

रामदेवी तिवारी विरुद्ध अर्चना आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 46/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31-08-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>